न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0 15,
लखनऊ।

एस0टी0 सं0 186/2019,
सरकार बनाम हसीब अहमद आदि

3—6—2019

पत्रावली प्रस्तुत। अभियुक्त हसीब अहमद जेल से उपस्थित। अभियुक्त मो0 शुएब उपस्थित। पत्रावली आज आरोप हेतु नियत है, परन्तु इस स्तर पर जेल में निरूद्ध अभियुक्त हसीब अहमद के द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि धन अभाव के कारण उसका कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है। अतः अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु दो सप्ताह का समय दिया जाये। धन अभाव के कारण अधिवक्ता न होने की परिस्थिति में न्यायालय के द्वारा ही अभियुक्त हसीब से यह पूछा गया कि उसे निःशुल्क अधिवक्ता चाहिये तो उसके द्वारा इन्कार कर दिया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली लगातार आरोप में नियत है। किसी तारीख पर जमानत पर रिहा अभियुक्त स्वयं हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र दे देता है और आज जब दोनों अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है तो ऐसी परिस्थिति में जेल में निरूद्ध अभियुक्त के द्वारा उपरोक्त प्राथनापत्र दिया गया है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण पत्रावली पर आरोप बनने में विलम्ब करना चाहते हैं, जबकि इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त हसीब के जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में इस न्यायालय की आख्या भी तलब की गयी थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत के स्तर पर यह प्रदर्शित करना चाहता है कि प्रस्तुत पत्रावली के विचारण में विलम्ब हो रहा है। जबकि अभियुक्तगण ही पत्रावली पर आरोप बनने में बाधा उत्पन्न कर रहे है।

प्रत्येक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा के अधिवक्ता को न्यायालय में खडा करे। अतः ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त हसीब को निर्देशित किया जाता है कि वह नियत दिनांक तक अपनी तरफ से अपनी पसन्द का अधिवक्ता खडा करे या धन अभाव की वजह से वह अगर अधिवक्ता नहीं कर सकता तो न्यायालय द्वारा प्रदत्त नि :शुल्क अधिवक्ता स्वीकार करे। यदि नियत दिनांक को भी अभियुक्त हसीब के द्वारा न्यायालय की अग्रिम कार्यवाही में सहयोग नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में यह माना जायेगा कि अभियुक्त हसीब स्वयं ही आरोप में तथा विचारण में विलम्ब कर रहा है और ऐसी स्थिति में अभियुक्त के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित जमानत प्रार्थनापत्र में न्यायालय की अतिरिक्त आख्या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रेषित की जावेगी। पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 7.6.19 को पेश हो। दोनों अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हों।

(अरविन्द मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं0 15, लखनऊ।